



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 650]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 3, 2017/फाल्गुन 12, 1938

No. 650]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 3, 2017/PHALGUNA 12, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 03 मार्च, 2017

सं. 17/2017-सीमा शुल्क (गै.टे.)

का.आ. 723(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उपधारा (1) और धारा 5 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद्वारा निम्न सारणी के कॉलम (5) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित कारण बताओ नोटिस के संबंध में, उक्त कारण बताओ नोटिस से संबंधित न्यायनिर्णयन के प्रयोजन हेतु, उक्त सारणी के कॉलम (4) में उल्लिखित अधिकारियों को दी गई शक्तियों का प्रयोग करने और उनको दिए गए कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त करता है, यथा:-

सारणी

क्र.सं.	नोटिसी का नाम और पता	कारण बताओ नोटिस की सं. और तारीख	के प्रति उत्तरदायी	नियुक्त अधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मैसर्स फूलचंद एंड सन्स 3, अंगेरीपलयम रोड, तिरुपुर	फा.सं. INV/DGCEI/CBERU/4/2005 दिनांक 20.06.2006	i. उप आयुक्त/ सहायक आयुक्त सीमा शुल्क, कस्टम हाऊस, तूतिकोरिन ii. उप आयुक्त/ सहायक आयुक्त सीमा शुल्क, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, मुम्बई	उप आयुक्त/ सहायक आयुक्त सीमा शुल्क, कस्टम हाऊस, तूतिकोरिन

			iii. उप आयुक्त/ सहायक आयुक्त सीमा शुल्क, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, चेन्नई	
--	--	--	---	--

[फा. सं. 437/02/2017-सीमा शुल्क-IV]

जेड. आर. कामिली, निदेशक (सीमा शुल्क)

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd March, 2017

**No. 17/2017-Customs (N.T.)**

**S.O. 723(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 and sub-section (1) of Section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints officer mentioned in column 5 of the Table below to exercise the powers and discharge duties conferred or imposed on officers mentioned in column (4) of the Table in respect of Show Cause Notice mentioned in column (3) of the table, for purpose of adjudication of show cause notice mentioned therein, namely:-

**TABLE**

Sl. No.	Notice name and address	Show Cause Notice Number and date	Answerable to	Appointed Officer
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	M/s Fulchand & Sons, 3, Angeripalayam Road, Tiruppur	F.No.INV/DGCEI/CBERU/4/2005 dated 20.06.2006	(i)Deputy Commissioner/Assistant Commissioner of Customs, Customs House, Tuticorin  (ii)Deputy Commissioner/Assistant Commissioner of Customs, Air Cargo Complex, Mumbai  (iii)Deputy Commissioner/ Assistant Commissioner of Customs, Air Cargo Complex, Chennai	Deputy Commissioner/Assistant Commissioner of Customs, Customs House, Tuticorin

[F. No. 437/02/2017-Cus- IV]

Z. R. KAMILI, Director (Customs)